निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्याः—34 / 2025(प्रार्थना पत्र)
दायर दिनांकः— 07 / 03 / 2025
निर्णय दिनांकः— 09 / 04 / 2025

अनवान

1. शान्तिलाल पिता गंगाराम जाति लौहार निवासी मालियों का वास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. कमला पिता गंगाराम जाति लौहार निवासी मालियों का वास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

———प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रदीप कुमार धाकड़ पिता प्रभूलाल धाकड़ निवासी कल्याणपुरा पोस्ट गोपालपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
2. शिवकुमार पिता रतनलाल जाति स्वर्णकार निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
3. नीतु पाटनी पिता नरेश चन्द पाटनी निवासी 14 / 85 सरावगी मोहल्ला, अजमेर जिला अजमेर
4. महाराम पुत्र पेमाराम जाति गुर्जर निवासी बारवालों का खेड़ा मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द

———अप्रार्थीगण

उपस्थित :—
प्रार्थीगण की ओर से — श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता
अप्रार्थीगण की ओर से — श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 04

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का पेश किया कि प्रार्थीगणों की स्वामित्व एवं आधिपत्य खातेदारी कृषि भूमि ग्राम मालियों का वास पटवार हल्का मदारिया तहसील

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

देवगढ़ जिला राजसमन्द में स्थित है। जिसका प्रार्थीगण निरन्तर निर्बाद रूप से उपयोग उपभोग कर रहा है व काबिज होकर स्वामी है। प्रार्थीगणों की भूमि के पुराना खाता संख्या 129 खसरा संख्या 553 / 1 रकबा 02 बीघा किस्म मंगरी है, उक्त भूमि के नये खाता संख्या 01 खसरा संख्या 652 रकबा 0.3900 हैक्टेयर है। जो प्रार्थीगणों के पिता के अलॉटमेन्ट हुई जिस पर हम प्रार्थीगण काबिज होकर कब्जेकाश्त है जिस पर कृषि कार्य कर रहे है। उक्त भूमि वर्तमान बन्दोवस्ती जमाबन्दी सेटलमेन्ट से पूर्व प्रार्थीगणों के पिता गंगाराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी जिसमें प्रार्थीगण उक्त आराजीयात पर काबिज होकर खेती कर रहे है। नये सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा बिना प्रार्थी को नोटिस व जानकारी के प्रार्थीगणों खातेदारी उक्त खसरान भूमि का खसरा संख्या अन्यत्र भूमि में स्थानान्तरण कर दर्ज कर दिया। जिस पर प्रार्थीगणों का कोई कब्जा ही नहीं है और ना ही कृषि कार्य कर रहे है। जो वर्तमान जमाबन्दी में खाता संख्या 155 खसरा संख्या 650 किस्म गै0 मु0 सड़क 0.0200 तथा बीड़–1 0.4100 कुल योग 0.4300 हैक्टेयर है। जिसे दुरस्त कर प्रार्थीगणों के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। उक्त आराजीयात खाता संख्या 01 खसरा संख्या 652 रकबा 0.3900 हैक्टेयर पर खातेदार प्रार्थीगण बतौर काबिज होकर मालिक है जो कि सेटलमेन्ट में प्रार्थीगण संख्या 01, 02, 03 के नाम दर्ज होना चाहिये था। जिस पर अप्रार्थीगण मौके पर कब्जा करने की नियत से माइनिंग का कार्य कर रहे है। जिसके कारण हम प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगणों के बीच लड़ाई झगड़ा तथा अप्रिय अनहोनी घटनाओं की सम्भावनाएं बढ़ गई है। इस कारण अप्रार्थीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना अत्यावश्यक है। प्रार्थीगण की काबिज कृषि भूमि में मौके पर काबिज होकर कृषि भूमि को सेटलमेन्ट पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा में दर्ज किया जाना आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थीगणों को भारी नुकसान होने की पुरी पुरी सम्भावना है। उक्त त्रुटि के कारण प्रार्थीगणों को भारी असुविधा हो रही है तथा साथ ही मौके पर वर्तमान में लड़ाई झगड़ा अनहोनी घटनाओं जैसी परेशानी हो रही है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगणों की खातेदारी कृषि भूमि में पूर्व राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा हाल में राजस्व रिकॉर्ड की नई प्रति

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

निकलवाने पर उक्त राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटियों की जानकारी हुई है। समस्त दस्तावेज प्राप्त कर उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् के अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को उक्त भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करे तथा उक्त भूमि कर वादी को उपभोग उपयोग करने में किसी प्रकार की रूकावट बाधा न तो स्वयं करे और नहीं अपने किसी रिश्तेदार, नौकर या अन्य किसी अनजाना व्यक्ति से करवाये। इस बाबत् अप्रार्थीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावें एवं राजस्व रिकार्ड एवं मौके की वर्तमान स्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण को पाबन्द किया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। प्रत्युत्तर में अप्रार्थी संख्या 01 व 04 की ओर से जवाब पेश किया गया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार हैं। ग्राम मालियों का वास के खसरा संख्या 555 बिलानाम व खसरा संख्या 547, 548, 549, 556 पर विपक्षीगण कि फर्म गोल्ड गिफ्ट माइन्स एवं मिनरल्स कि खनन लीज संख्या 201/2008 स्वीकृत होकर विपक्षीगण का उक्त माइनस पर खनन कार्य चल रहा है। भूमि विपक्षीगण के कब्जे में होकर खनन के उपयोग में आ रही है। न तो कृषि योग्य भूमि है न ही कृषि योग्य कार्य होता है। प्रार्थना पत्र कि कॉलम संख्या 02 गलत होकर स्वीकार है प्रार्थीगण विपक्षीगण के खनन क्षेत्र की भूमि पर काबिल काश्त नहीं है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 03 गलत होकर अस्वीकार है। उक्त भूमियों पर विपक्षीगण कि फर्म गोल्ड गिफ्ट माइन्स एवं मिनरल्स के नाम एम एल संख्या 201/2008 स्वीकृत है। उक्त एमएल खनिज विभाग द्वारा पंजीयन है। जो ग्राम मालियों का वास के पूर्व आराजी संख्या 555, 547, 548, 549, 556 पर खान लीज है वर्तमान खसरा संया 652 बिलानाम आराजीयात है जिस पर खनन लीज स्वीकृत है। खसरा संख्या 650 पर खनन लीज स्वीकृत है वर्तमान में भी किस्म खनन क्षेत्र राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 04 गलत होकर अस्वीकार है। खसरा संख्या 652 बिलानाम आराजीयात किश्म खनन क्षेत्र है जिस पर प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नहीं है उक्त भूमि पर खनन विभाग द्वारा विधिवत् पत्रावली दर्ज कर भूमि पर खनन क्षेत्र होने से खनन लीज

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

स्वीकृत कि गई जिस पर विपक्षीगणों को विधिवत् रूप से खनन क्षेत्र होने से खनन लीज स्वीकृत कि गई जिस पर विपक्षीगणों को विधिवत रूप से खनन माईन्स काफी वर्षों से चल रही है। विपक्षीगणों के खनन क्षेत्र पर प्रार्थीगण का कोई हक नहीं है। एवं वहां खनन क्षेत्र ही है। प्रार्थी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 05 गलत होकर अस्वीकार है प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है विपक्षीगण कि खनन लीज काफी वर्षो से चल रही है जिसकी नियमानुसार रॉयल्टी भी खनन विभाग को चुकता कर रहे है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 06 गलत होकर अस्वीकार है कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ न ही कोई राजस्व त्रुटियां है। गलत रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 07 गलत होकर अस्वीकार है कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 08 व 09 न्याय शुल्क व क्षैत्राधिकारिता से संबंधित होकर उत्तर की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी किसी प्रकार से अन्तिम दाद पाने का अधिकार नहीं है। जवाब के साथ विशेष उत्तर में उल्लेखित है कि प्रार्थीगण का मूल प्रार्थना पत्र ही काबिली निरस्ती योग्य है विधिक प्रावधानों के विपरीत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है आदेश 39 नियम 01 व 02 सीपीसी वाद पत्रों के स्थाई निषेधाज्ञा कि दाद का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का होता है। प्रार्थीगण ने कोई भी वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थीगण ने विधि विरूद्ध रूप से एक प्रार्थना पत्र बाबत् शुद्धी इन्द्राज दुरस्ती धारा 136 रा.ले.रे.एक्ट का माननीय न्यायालय आप में प्रस्तुत किया गया है उस मुल प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण को पक्षकार ही नही बनाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का ही प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तु कर विधि विरूद्ध रूप से एक पक्षीये स्थग्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते ही उसी दिन न्यायिक प्रक्रिया का दुरपयोग करते हुये लिया गया । बिना किसी मुल वाद के बिना हक हकुक के विपक्षीगणो के खनन क्षेत्र को क्षेत्राधिकारों के विपरीत बन्द करने के लिये कानूनी प्रकिया का दुरपयोग करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। खान व भू–ज्ञान विभाग आमेंट में तत्कालीन रूप से प्रकाश चन्द्र पिता गोपा लाल चन्देल निवासी बग्गड एक खनन विभाग आमेंट में खनन लीज हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर तात्कालीन खसरा संख्या 65 / 2, 65 / 1 ग्राम बारवालो

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

का खेडा बिलानाम भूमि, ग्राम मालियो का वास खसरा सख्या 555 बिलानाम भूमि, ग्राम बारवालो का खेड़ा खसरा संख्या 66, 67 खातेदारी भूमि एवं ग्राम मालियो का वास खसरा संख्या 547, 548, 549, 556 खातेदारी भूमि पर संयुक्त रूप से भूमि का सीमांकन कर किश्म मगरी पर खनन विभाग आमेट द्वारा 201/2008 खनन लीज स्वीकृत की गई जो लीज डीड उपपंजीयक देवगढ के यहा रजिस्टर्ड की गई जिसे बाद में विधिवत रूप से खनन विभाग द्वारा विपक्षीगण कि फर्म मैसर्स गोल्ड गिफ्ट माइन्स एवं मिनरल्स को हस्तानान्तरीत हुई जिस पर वर्ष 2019 से विपक्षीगण की फर्म संचालित की जा रही है। खनन क्षेत्र भूमि पर खनन कार्य किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा बिना तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो विधि बाधित है खनन क्षेत्र पर स्थग्न या विवाद होने पर सुनने कि क्षैत्राधिकारीता सिविल न्यायालय को है न की आप न्यायालय को। तत्कालिन खातेदारो ने खनन लीज हेतु सहमति पत्र विधिवत रूप से सम्पादीत कर नाटेरी से प्रमाणीत कर खनन आवेदनकर्ता को दिनांक 31.03. 2018, दिनांक 22. 06.2018 एवं दिनांक 24.03.2018 को अलग अलग से दिये। बदले में प्रार्थीगण द्वारा प्रतिफल लिया गया एवं उक्त खनन पट्टे क्षेत्र पर विधिवत रूप से विपक्षीगण कि फर्म द्वारा कार्य किया जा हरा है जो खनन लीज क्षेत्र में है। बिना हेतुक का बिना क्षेत्राधिकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है गलत रूप से विधिक प्रक्रिया का दुरपयोग कर सम्पुर्ण खनन माइन्स को रोके के लिये तरीका अपनाया गया है मुल प्राथना पत्र निरस्ती योग्य है। अन्य निवेदन वक्त बहस अर्ज किये जायेंगे। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर अर्ज है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावें विपक्षीगण को बिना वजह परेशान किया जाने हेतु प्रार्थीगण पर विशेष हर्जा खर्चा अधिरोपित किया जावे। अप्रार्थी संख्या 05 की ओर से जवाब पेश नहीं करना चाहा।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन चिन्तन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस जाहिर किया कि उक्त आरजीयात खातेदारी है जिसमें मौके पर फसल खड़ी है एवं सहमति पत्र में खातेदारों के हस्ताक्षर नहीं है। स्टाम्प पत्र खातेदार के नाम नहीं खरीद कर गवाह के नाम से खरीदा गया है। दौराने बहस अप्रार्थी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रार्थी ने कोई वाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 व 131 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम में कोई विशेष दाद नहीं चाही गई है वर्तमान में खसरा संख्या 650 पर खनन लीज स्वीकृत है वर्तमान में किश्म खनन क्षेत्र राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खनन लीज के संबंध श्रवणाधिकार न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अप्रार्थीगण की मौके पर खनन लीज संख्या 201 / 2008 स्वीकृत है जो लीज प्रभावी है मौके पर खनन कार्य विधिसम्मत किया जा रहा है। खनन सहमति प्राप्त होने पर खनन लीज स्वीकृत होती है प्रार्थी द्वारा खनन लीज सक्षम न्यायालय में निरस्त नहीं करवायी गयी है।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का विवचेन किया गया।

अतः प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09 / 04 / 2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द
सहायक कलक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द